

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

--: विविध आदेश :-

क्रमांक-38/चार-3-1/1988

दमोह, दिनांक 04 नवम्बर, 2025

इस स्थापना पर रिक्त उपलब्ध शासकीय आवासगृह, आधिपत्य ग्रहण करने की दिनांक से, (श्री शंभूनाथ ओझा, प्रशासनिक अधिकारी, दमोह को शासकीय आवास-एफ-24 किल्लाई नाका दमोह के स्थान पर) निम्नलिखित शर्तों के अधीन, सारणी में दर्शित अनुसार शासकीय आवास आवंटित किया जाता है:-

क्र.	नाम व पदनाम	आवासगृह का क्रमांक	रिमार्क
1	श्री शंभूनाथ ओझा, प्रशासनिक अधिकारी, दमोह	शासकीय आवासगृह क्रमांक एफ-7, रेस्ट हाउस के पीछे, किल्लाई नाका, दमोह	रिक्त उपलब्ध होने के कारण।

--: शर्त :-

1. शासकीय आवासगृह का कोई भी भाग किराये पर नहीं दिया जावेगा।
2. शासन द्वारा निर्धारित दर से मासिक भुगतान नियमित करना होगा।
3. स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति या सेवासमाप्ति होने पर उक्त शासकीय आवास रिक्त करना होगा।
4. स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति या सेवासमाप्ति की स्थिति में उक्त शासकीय आवास गृह अनुमति उपरांत समय से रिक्त न करने पर मूलभूत नियम 45बी के अनुसार वसूली की जावेगी एवं निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी।
5. किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा उक्त शासकीय आवास की मांग किये जाने पर उक्त शासकीय आवास स्वयं के व्यय पर रिक्त करना होगा।

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)**

पृष्ठांक-4188/चार-3-1/1988

दमोह, दिनांक 04 नवम्बर 2025

प्रतिलिपि :- 1. कलेक्टर, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री शंभूनाथ ओझा, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर उपरोक्तानुसार शासकीय आवासगृह का रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करने हेतु प्रेषित।
 3. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, दमोह
 4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (म./स.) दमोह
 5. मुख्य अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड, दमोह
 6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दमोह
 7. लेखापाल/सहायक लेखापाल/वेतन लिपिक, कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह
 8. जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, दमोह
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

016

**कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)**